न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर

बइजलास – श्री अशोक कुमार, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या– 76/2018

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट
मोहम्मद कासम पुत्र हाजी ईसा जाति मुसलमान निवासी बासनी बेलिमा तहसील व जिला नागौर।		राज. सरकार जरिये तहसीलदार नागौर।

उपस्थिति :–

1. श्री मुकेश चौधरी, अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।
2. श्री कुन्दनसिंह आचीणा, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से।

निर्णय दिनांकः 29-05-2018

{1}–मामलें के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट ने यह अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत तहसीलदार, नागौर द्वारा धारा 91 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण संख्या 88/2017 सरकार बनाम मो. अमीन में पारित निर्णय दिनांक 29.12.2017 से असंतुष्ट होकर दिनांक 29.01.2018 को प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट की अपील दिनांक 09.02.2018 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया। अदालत मातहत का मूल अभिलेख मंगवाया गया। रेस्पोडेन्ट की ओर से श्री कुन्दनसिंह आचीणा राजकीय वकील उपस्थित हुए।

अपीलांट ने अपने अपील के समर्थन में तहसीलदार, नागौर का निर्णय दिनांक 29.12.2017 की प्रमाणित फोटोप्रति पेश की।

{2}–उभयपक्ष के वकुलाय की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि–

{2}(I)– निर्णय जैर अपील खिलाफ कानून तथ्यों व परिस्थितियों के विरूद्व साक्ष्य व रेकर्ड के विरूद्व तथा मौके की स्थिति के विरूद्व होने के अतिरिक्त प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विपरीत होने से खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(II)– अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को खसरा नं. 594/942 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा में दो तरफ दीवार व एक तरफ आधे में दीवार व आधे में बाड पर पश्चातवर्ती अतिक्रमण का नोटिस दिया गया था, पटवारी रिपोर्ट के पिछले पृष्ठ पर उक्त बाबत एक नक्शा भी बनाया गया था, उस नक्शे में कही भी नाप का उल्लेख नही किया गया है एवं न ही किस दिशा में, कितने नाप पर अतिक्रमण किया है, मौका रिपोर्ट स्पष्ट अस्पष्ट है व अस्पष्ट मौका रिपोर्ट के आधार पर किसी प्रकार का विधि सम्मत आदेश पारित करना न्याय संगत नही है, अधीनस्थ न्यायालय ने इस विधिक बिन्दु को नजरअंदाज कर विधिक त्रुटि कारित की है, जिससे निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(III)– अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय एक साइक्लो स्टाईल निर्णय है, यह निर्णय पूर्व में ही टाईप किया हुआ है, इसमें मात्र खाली स्थानों की पूर्ति के लिये नाम व खसरा नं. व जुर्माने का अंकन किया गया है, पूर्व में ही बेदखली का निर्णय पारित किया गया है तथा अपनी कार्यवाहियों के टारगेट की रिकार्ड में पूर्ति के लिये यह निर्णय जैर अपील के नाम पर खानापूर्ति की गई है, जो खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(IV)– प्राकृतिक न्याय का यह सुस्पष्ट सिद्वान्त है कि किसी भी पक्षकार के विरूद्व निर्णय पारित करने से पूर्व उसे साक्ष्य, सबूत व जवाब प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर दिया जाना चाहिये, मगर वर्तमान प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण बिन्दु को नजरअंदाज कर सरसरी तौर पर निर्णय पारित कर न्यायिक विवेक का इस्तेमाल किये बिना व अपने में निहित क्षेत्राधिकारों का गलत रूप से प्रयोग करते हुए निर्णय पारित किया है, जो विधि सम्मत निर्णय नही होने के कारण निरस्तनीय है।

{2}(V)– अधीनस्थ न्यायालय द्वारा केवल मात्र पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही केवलमात्र कागजी तथ्यों के आधार पर धारा 91 राज. भू राजस्व अधिनियम के तहत कार्यवाही की गई है एवं पटवारी

अपर कलक्टर, नागौर

हल्का नागौर से जिरह एवं अन्य साक्ष्य सबूत का अवसर दिये बिना ही निर्णय जैर अपील पारित करने में बडी भारी कानूनी व विधिक भूल की है, जिससे भी निर्णय जैर अपील खारिज किये जाने योग्य है।

{2}(VI)– अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी अपीलांट की ओर से जो जवाब प्रस्तुत किया गया था, उक्त जवाब का एवं जवाब में वर्णित बिन्दुओ का विस्तारपूर्वक विचार किये तथा अपीलांट द्वारा उठाये गये तमाम कानूनी बिन्दुओं का भी बिना विचारण एवं विश्लेषण किये ही अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए बेदखल करने का आदेश पारित कर दिया गया था, जो पूर्णतया विधि विरूद्व होने से निरस्तनीय है।

{2}(VII)– खसरा नं. 594 सहित अन्य खसरान की भूमियां कालू खां के खातेदारी की भूमि थी, जिसके संबंध में कालू खां के नाम से मेनेजिंग ऑफीसर कम तहसीलदार नागौर के द्वारा एक सनद भी जारी की गई थी। उक्त सनद को बाद में चुनौती दिये जाने पर उक्त सनद के संबंध में न्यायालय सेटलमेंट कमीश्नर (कलक्टर) नागौर ने राजस्व मामला सं. 20/86 राज. सरकार बनाम इब्राहीम खां वगैरा में पारित निर्णय दिनांक 31.05.99 में उक्त सनद को वैध माना है, जिसके विरूद्व चीफ सेटलमेंट कमीश्नर कम संभागीय आयुक्त बीकानेर के समक्ष अपील किये जाने पर सनद को उक्त न्यायालय के द्वारा खारिज किये जाने का आदेश दिनांक 03.10.2000 को पारित किया था, जिसके विरूद्व माननीय राज. उच्च न्यायालय जोधपुर के समक्ष एसबी सिविल रिट पिटिशन सं. 148/2001 प्रस्तुत की गई थी, जिसमें माननीय राज. उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 12.01.01 को चीफ सेटलमेंट कमीश्नर कम संभागीय आयुक्त बीकानेर के उक्त निर्णय दिनांक 03.10.2000 की क्रियान्विति स्थगित रखी गई है, इस प्रकार माननीय राज. उच्च न्यायालय के समक्ष उक्त रिट पीटिशन के विचाराधीन रहते सेटलमेंट कमीश्नर (कलक्टर) नागौर के निर्णय दिनांक 31.05.99 का फैसला यथावत है एवं उक्त निर्णय के आधार पर कालू खां के नाम जारी सनद भी वैध है। इस प्रकार कालू खां के खातेदारी को किसी भी सक्षम न्यायालय द्वारा अवैध व निरस्त घोषित नही किया गया है।

{2}(VIII)– कालू खां के द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि का कुछ भाग सत्यनारायण पुत्र मदनलाल जाति ब्राह्मण को बेचान किया था एवं खातेदार सत्यनारायण के द्वारा खसरा नं. 594 रकबा 10 बीघा 5 बिस्वा भूमि का बेचान दिनांक 25.06.86 को कमला पत्नी मोहनलाल जाति जाट निवासी रोल तहसील जायल जिला नागौर को किया गया था और श्रीमती कमला के द्वारा दिनांक 08.09.87 को रामनिवास पुत्र बद्री माली के द्वारा अपीलांट मो. कासम पुत्र हाजी ईसा जाति मुसलमान निवासी बासनी बेलिमा को वैध एवं पर्याप्त प्रतिफल में विक्रय किया था, जिसके संबंध में विक्रय विलेख कार्यालय उप पंजीयक नागौर के समक्ष दिनांक 11.09.87 को विधिवत रूप से पंजीबद्व है। इस प्रकार उपरोक्त भूमि अपीलांट की खरीदसुदा एवं खातेदारी की भूमि है, जिस पर दिनांक 11.09.87 की तिथी से लगातार निर्बाध एवं शांतिपूर्वक कब्जा काश्त अपीलांट का चला आ रहा है। उपरोक्त खातेदारी को एवं उपरोक्त बेचाननामें को किसी भी सक्षम प्राधिकारी के द्वारा आज दिन तक निरस्त नही किया गया है एव न ही किसी न्यायालय में चुनौती दी गई है।

{2}(IX)– उपरोक्त भूमि खरीद करने के पश्चात अपीलांट ने उपरोक्त भूमि की पूर्व तरफ को छोडते हुए तीनों तरफ बाउण्ड्री वॉल भी 1987 में बनवाई थी, जिसके पश्चात अपीलांट मो. कासम ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में एक राजस्व वाद सं. 161/1989 प्रस्तुत किया था, जो वाद मो. कासम बनाम सत्यनारायण व अन्य के नाम से विचारित होकर दिनांक 09.08.91 को निर्णीत किया जाकर अपीलांट के हक में घोषणा खातेदारी की डिक्री भी पारित करते हुए खसरा नं. 594/942 के पश्चिमी 5 बीघा का खातेदार अपीलांट को घोषित करने की डिक्री पारित की थी, उक्त वाद के विचारण के दौरान पटवारी हल्का नागौर के द्वारा खसरा नं. 594/942 का मौका भी देखा गया, जिसमें उक्त खसरे पर वादी का कब्जा होने और पक्की दीवार तीन तरफ होने के तथ्य स्वयं राज्य सरकार के द्वारा प्रस्तुत किये गये थे, जिसके संबंध में उक्त वाद के निर्णय के पेज सं. 2 में उपरोक्त तथ्यों का हवाला दिया हुआ है कि वादी के तीन तरफ पक्की दीवार, पूर्व पश्चिम व दक्षिण में पक्की दीवार है, इस प्रकार अपीलांट की उक्त भूमि उसके खातेदारी की भूमि है, जिसके संबंध में सक्षम न्यायालय के द्वारा निर्णय व डिक्री पारित करते हुए उसके हक में खातेदारी की घोषणा जारी की गई है, जिसको किसी भी अपीलीय न्यायालय के द्वारा निरस्त नही किया गया है। उक्त निर्णय व डिक्री अंतिम है एवं उपरोक्त निर्माण जो इस नोटिस मे पटवार हल्का के द्वारा बताया गया है, वो निर्माण 1987 में करवाया जाने एवं उक्त वाद के विचारण के दौरान मौके पर होने के तथ्य राज्य सरकार की जानकारी में रहते चले आये है।

अपर कलक्टर, नागौर

{3}– राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान बताया गया कि अपीलांट द्वारा नागौर में स्थित राजकीय अंगौर कस्टोडियन भूमि पर अतिक्रमण कर दीवार व बाड निर्माण कर लिए जाने पर विधिवत प्रकरण दर्ज कर अपीलांट को नोटिस जारी किया गया। उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगौर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि सम्मत होने से यथावत कायम रखा जाना चाहिए।

{4}– उभयपक्ष के वकुलाय की बहस पर मनन किया गया। पटवारी हल्का की अतिक्रमण रिपोर्ट में आराजी भूमि वाके नागौर के खसरा नंबर 594/942 रकबा 10.05 बीघा गैर मुमकिन अंगौर राजकीय कस्टोडियन भूमि पर दीवार व बाड का निर्माण किया जाना पाया गया है। आदेश जैर अपील पारित करने से पूर्व अपीलांट को विधिवत नोटिस दिया गया है। जिस पर अपीलांट के अधिवक्ता का अधीनस्थ न्यायायलय का उपस्थित होना अभिलेख से साबित भी है। उसको पर्याप्त सुनवाई का अवसर दिए जाने के पश्चात् आदेश जैर अपील पारित हुआ है। ऐसी स्थिती में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विधिवत सुनवाई का अवसर दिया जाना रिकार्ड से पाया जाता है। जहां तक अपीलांट का यह कथन है कि उक्त भूमि के स्वामित्व को लेकर याचिका माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है, के तथ्यों को रेस्पोडेन्ट द्वारा भी स्वीकार भी किया गया है तथा अपीलाधीन आदेश के तहत अपीलांट की भौतिक रूप से बेदखली भी स्थगित रखी हुई है। जहां प्रकरण में माननीय उच्च न्यायालय में याचिका लंबित है, वहां इस स्टेज पर प्रकरण के गुणावगुण पर कोई आदेश पारित किया जाना उचित नहीं होगा तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अंतिम आदेश पारित होने पर तदनुसार कार्यवाही/पालना हेतु अधीनस्थ न्यायालय स्वतः ही उत्तरदायी है। वर्तमान स्थिति में आदेश जैर अपील में कोई विधिक त्रुटि रही हो, ऐसा प्रतीत नहीं हो रहा है तथा उक्त भूमि राजस्व रेकर्ड में गैर मुमकिन अंगौर राजकीय कस्टोडियन भूमि है। ऐसी स्थिति में आदेश जैर अपील विधिसम्मत होने से इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

{5}– उपरोक्त विवेचनात्मक विवेचन के आधार पर अपीलान्ट की अपील खारिज की जाती है। आदेश जैर अपील कायम रखा जाता है। भौतिक रूप से बेदखली की कार्यवाही से पूर्व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण की वर्तमान स्थिति एवं उसमें पारित आदेशों को ध्यान में रखते हुए ही समुचित कार्यवाही की जावे।

{6}– निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
अपर कलक्टर,
नागौर

अपर कलक्टर, नागौर

न्यायालय अपर कलक्टर, नागौर राजस्थान